राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना

वाद संख्या–16/2024

सुनीता देवी बनाम् आरती देवी।

यह वाद श्रीमती सुनीता देवी, पति–स्व0 लोकनाथ साव, पता–वार्ड संख्या–25, लखीसराय नगर परिषद्, टाउन थाना, जिला–लखीसराय द्वारा श्रीमती आरती देवी, पति–श्री अर्जुन साव, पता–वार्ड संख्या–25, लखीसराय नगर परिषद्, टाउन थाना, जिला–लखीसराय के विरुद्ध लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित रहने के कारण बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–18 (1)(n) सह–पठित धारा–18 (2) के तहत वार्ड पार्षद के पद से निरर्हता के आधार पर पदमुक्त करने हेतु लाया गया है।

02. वादी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री श्याम किशोर द्वारा वादी का पक्ष रखा गया तथा प्रतिवादी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री राजीव रंजन द्वारा पक्ष रखा गया। जिला निर्वाचन पदाधिकारी(नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी, लखीसराय द्वारा श्री सुनील कुमार एवं शशांक कुमार, जिला पचायत राज पदाधिकारी, लखीसराय को अभिलेखों के सत्यापन प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया गया।

03. वादी के विद्वान अधिवक्ता श्री श्याम किशोर द्वारा आयोग को बताया गया कि प्रतिवादी द्वारा बिना पूर्वानुमति के नगर परिषद, लखीसराय में आयोजित 03 लगातार बैठकों क्रमशः दिनांक–20.09.2023, दिनांक–21.11.2023 एवं दिनांक–05.01.2024 को प्रतिवादी अनुपस्थित रहे। बिना पूर्वानुमति के 03 लगातर बैठकों में अनुपस्थित रहने के कारण प्रतिवादी द्वारा बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 के धारा–18(1)(n) के तहत वार्ड पार्षद का पद धारण करने हेतु अयोग्यता अर्जित कर ली गयी है।

अपने दावें के समर्थन में उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 के धारा–18(1)(n) के तहत अयोग्य घोषित करने हेतु यह आवश्यक है कि तीनों बैठक लगातार हो, बैठक का नोटिस का तामिला उक्त अधिनियम की धारा–49 के तहत 72 घंटे पूर्व होना चाहिए तथा नोटिस में बैठक का एजेण्डा अवश्य अंकित होना चाहिए। आगे उनके द्वारा आयोग को बारी–बारी से उक्त तीनों बैठकों के नोटिस की छायाप्रति, तामिला प्रतिवेदन एवं बोर्ड की बैठक के कार्यवाही प्रतिवेदन का अवलोकन कराया गया। उनके द्वारा यह दावा किया गया है कि सभी नोटिसों में बैठक का एजेण्डा अंकित है, नोटिस का तामिला 72 घंटे से पूर्व कराया गया है तथा कार्रवाई प्रतिवेदन से यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी उक्त तीनों बैठकों में शामिल नहीं हुयी थी।

अंत में उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि प्रतिवादी का उक्त कृत्य बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 के धारा–18(1)(n) का Clear cut Violation है। अतः प्रतिवादी को अविलम्ब निरर्हित किया जाना चाहिए।

04. प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता श्री राजीव रंजन द्वारा वादी के उक्त तर्कों का खण्डन किया गया तथा आयोग को बताया गया कि वादी का दावा तथ्यतः गलत है। उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि दिनांक–20.09.2023 के बैठक हेतु प्रतिवादी के अव्यस्क पौत्र, सिधु उर्फ सिद्धार्थ कुमार को नोटिस का तामिला कराया गया। उनके द्वारा सिद्धार्थ के जन्म प्रमाण–पत्र का अवलोकन आयोग को कराया गया, जिसमें सिद्धार्थ कुमार की जन्मतिथि–26.01.2013 अंकित है। आगे उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि दिनांक–21.11.2023 के बैठक के लिये निर्गत नोटिस का तामिला उनके दूसरे अवस्यक पौत्र, मानव कुमार को कराया गया। अपने दावें के समर्थन में उनके द्वारा मानव कुमार के जन्म प्रमाण–पत्र में अंकित उनके जन्मतिथि–25.02.2010 का अवलोकन कराया गया। आगे उनके द्वारा तीसरे बैठक दिनांक–05.01.2024 के संबंध में आयोग को बताया गया कि उक्त बैठक के नोटिस का तामिला पुत्र आशिष कुमार को कराया गया, जो कि मानसिक रूप से अक्षम है। इस प्रकार उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि तीनों बैठकों की नोटिस का तामिला वैधानिक रूप से उचित प्रकार से नहीं किया गया। उक्त कारणों से अंततः प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा वाद को खारिज करने का अनुरोध किया गया।

05. जिला प्रशासन की तरफ से जिला निर्वाचन पदाधिकारी(नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी, लखीसराय के पत्रांक–1818/नि0, दिनांक–26.06.2024 द्वारा सत्यापन प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया। प्रतिवेदन से निम्नलिखित तथ्य प्राप्त हुयेः–

(क) श्रीमती सुनीता देवी, वार्ड पार्षद वार्ड संख्या–25, नगर परिषद् लखीसराय क्रमशः तीन तिथियों दिनांक–20.09.2023, दिनांक–21.11.2023 एवं दिनांक–05.01.2024 की बैठकों में अनुपस्थित रहीं।

(ख) नोटिस के तामिला में समय एवं तिथि अंकित नहीं रहने के कारण जिला प्रशासन 72 घंटे पूर्व तामिला होने के संबंध में आश्वस्त नहीं है।

(ग) श्रीमती सुनीता देवी द्वारा अनुपस्थित रहने के संबंध में कोई आवेदन–पत्र नगर परिषद्, लखीसराय को नहीं दिया गया था।

(घ) दिनांक–20.09.2023 एवं दिनांक–21.11.2023 की बैठकों की नोटिस का तामिला अव्यस्क पौत्रों को किया गया है।

06. आयोग द्वारा उपलब्ध साक्ष्यों, अधिवक्ता द्वय तर्कों तथा जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी, लखीसराय द्वारा उपलब्ध कराये गये जाँच प्रतिवेदनों का परीक्षण किया गया । आयोग का इस वाद के संबंध में मत/निर्णय निम्नवत हैः–

"आयोग द्वारा पाया गया कि इस वाद का मूल कारण वादी का यह दावा की प्रतिवादी श्रीमती आरती देवी, वार्ड पार्षद, लखीसराय नगर परिषद्, वार्ड संख्या–25 तीन लगातार

बैठकों में अनुपस्थित रहीं, जिसके कारण उन्होनें बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–18 (1) (n) के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए, अयोग्यता अर्जित कर ली है।''

आयोग द्वारा पाया गया कि वादी का दावा तथ्यात्मक रूप से प्रमाणित है, क्योंकि उनके द्वारा साक्ष्य में जिन अभिलेखों को संलग्न किया गया है, उन अभिलेखों को जिला प्रशासन के सत्यापन में सही पाया गया है, अर्थात् वाद–पत्र के साथ संलग्न उक्त तीनों बैठकों का नोटिस, तामिल प्रतिवेदन एवं कार्रवाई प्रतिवेदन सही पाया गया है। बैठकों के क्रम के संबंध में भी प्रतिवादी को भी कोई आपत्ति नहीं है, अर्थात् दोनों पक्ष इस बात पर सहमत है कि वादी द्वारा वर्णित तीनों बैठकें लगातार हैं। इन बैठकों के मध्य कोई अन्य बैठक नहीं हुयी है।

प्रतिवादी द्वारा अपने बचाव में केवल तकनीकी पक्ष का सहारा लिया गया है। उनका दावा है कि उनके दो पौत्रों द्वारा नोटिस प्राप्त किया गया है तथा एक नोटिस उनके ऐसे पुत्र द्वारा प्राप्त किया गया है, जो कि मानसिक रूप से अक्षम है। आयोग द्वारा दोनों पौत्रों के जन्म प्रमाण–पत्र में अंकित जन्मतिथि के आधार पर वर्तमान आयु पर विचार किया गया, तो पाया गया कि वर्ष–2024 में एक पौत्र की आयु 13 वर्ष तथा दूसरे पौत्र की आयु लगभग 11 वर्ष है। दोनों पौत्रों की आयु इतनी है कि वह बाहर से प्राप्त होने वाले किसी पत्र को घर के संबंधित व्यक्ति को सुपूर्द कर सकें। यह भी ध्यान देने योग्य तथ्य है कि दोनों पौत्र सिधु कुमार एवं मानव कुमार द्वारा अपना हस्ताक्षर अंग्रेजी भाषा में किया गया है, अर्थात् उन्हें पढ़ना एवं लिखना अच्छी प्रकार से आता है। इसके साथ ही साथ प्रतिवादी द्वारा नगर कार्यपालक पदाधिकारी अथवा नगर प्रशासन के समक्ष कभी इस बात का विरोध नहीं किया है कि नोटिस उनके पौत्रों को दे दिया जाता है और उन्हें बैठकों का संज्ञान नहीं होता है। प्रतिवादी यह प्रमाणित करने में भी विफल रहे है कि दोनों पौत्र अपनी दादी के साथ एक ही परिवार में साथ–साथ नहीं रहते है। ऐसी स्थिति में प्रतिवादी का यह दावा स्वीकार योग्य नहीं है कि पौत्रों द्वारा नोटिस प्राप्त करने के कारण उन्हें बैठकों की जानकारी नहीं मिल सकीं।

ठीक इसी प्रकार प्रतिवादी का यह कहना कि एक बैठक हेतु उनके ऐसे पुत्र को नोटिस का तामिला कराया गया, जो कि मानसिक रूप से अक्षम है, स्वीकार योग्य नहीं है, क्योंकि प्रतिवादी द्वारा कोई ऐसा साक्ष्य या चिकित्सा प्रतिवेदन संलग्न नहीं किया है, जिससे यह सिद्ध हो सकें कि उनके पुत्र आशीष कुमार मानसिक रूप से अक्षम है।

प्रतिवादी द्वारा बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007(यथासंशोधित) के प्रावधानों के तहत वादी के इस दावें का प्रतिवाद नहीं किया गया है कि उनके मुवक्किल को 72 घंटे पूर्व नोटिस प्राप्त हुआ था कि नहीं, अतः एक प्रकार से उनके द्वारा वादी के दावें को स्वीकार कर लिया गया है। यह भी उल्लेखनीय है कि नोटिस के प्राप्तकर्त्ता को स्वयं तिथि एवं समय अंकित करनी है। यदि प्राप्तकर्त्ता नोटिस प्राप्ति के समय तिथि एवं समय अंकित नहीं करता है, तो नोटिस का तामिला ससमय माना जाता है।

आयोग द्वारा बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007(यथासंशोधित)की धारा–18(1)(n) के अन्तर्निहित उद्देश्यों पर भी विचार किया गया। आयोग का अभिमत है कि नीति निर्माताओं द्वारा निरर्हता के संबंध में ऐसा प्रावधान संभवतः इस कारण से निर्मित किया गया है, ताकि

स्थानीय समस्याओं के प्रति चुने हुये जनप्रतिनिधि सजगता से बोर्ड के होने वाले बैठकों में निरंतर विचार कर सकें। वे चाहते थे कि ऐसे जनप्रतिनिधि जो जन समस्याओं एवं अपने कर्त्तव्यों के प्रति असंवेदनशील हो, उन्हें यदि एक बार गलतफहमी में मतदाताओं द्वारा चुन भी लिया गया हो, तो भी उनकी असंवेदनशीलता एवं अपने कर्त्तव्यों के प्रति लापरवाही के कारण पद से हटाया जा सकें।

(क) उक्त वर्णित स्थिति एवं साक्ष्यों से प्रमाणित हो गया है कि प्रतिवादी श्रीमती आरती देवी द्वारा बिना पूर्वानुमति के लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित रहने के कारण बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–18 (1) (n) में निहित प्रावधानों के अधीन नगरपालिका सदस्य (वार्ड पार्षद) का पद ग्रहण करने के लिए अयोग्यता अर्जित कर ली गई है। फलतः बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–18 (2) के तहत प्राप्त शक्तियों का उपयोग करते हुए श्रीमती आरती देवी को तत्काल प्रभाव से नगर परिषद् लखीसराय के वार्ड संख्या–25 के वार्ड पार्षद के पद से पदमुक्त किया जाता है। इसके साथ ही उक्त वार्ड में वार्ड पार्षद का पद रिक्त समझा जायेगा।

इस आदेश के साथ इस वाद को निष्पादित किया जाता है।

सभी संबंधित को सूचित कर दिया जाये।

अद्योहस्ताक्षरी द्वारा लेखापित एवं संशोधित।

ह0/–
(डॉ० दीपक प्रसाद)
09.07.2025
राज्य निर्वाचन आयुक्त, बिहार।

ह0/–
(डॉ० दीपक प्रसाद)
09.07.2025
राज्य निर्वाचन आयुक्त, बिहार।

ज्ञापांक–16/2024 पटना, दिनांक–.....

प्रतिलिपि–सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक–16/2024 3084 पटना, दिनांक– 9.7.25

प्रतिलिपि– जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका),–सह–जिला पदाधिकारी **लखीसराय**/जिला पंचायत राज पदाधिकारी, **लखीसराय** को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। जिला पंचायत राज पदाधिकारी, **लखीसराय** को आदेश दिया जाता है कि 24 घंटे के अन्दर दोनों पक्षों को आदेश का तामिला कराते हुए, तामिला प्रतिवेदन आयोग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

09/7/25
विशेष कार्य पदाधिकारी